THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV) : (a) The relevant rules are contained in chapter V of the Mineral Conservation and Development Rules, 1988 framed under Section 18 of Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957. These rules are applicable to all minerals except:—

(i) petroleum and natural gas;

(ii) coal, lignite and sand for stowing;

(iii) any mineral declared as prescribed substances for the purpose of Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962); and

(iv) minor minerals.

(b) Environmental Management Plans (EMPs) are required to be formulated as an integral part of the coal projects. These are scrutinised by an Expert Committee constituted by the Ministry of Environment and Forests and investment decision are taken only after formal clearance of the Ministry of Environment & Forests is available. EMPs incorporate various environmental protective measures, which have to de taken simultaneously with coal mining viz. land reclamation, afforestation, control of air and water pollution.

खनिज अधिनियम में संशोधन

3188. **श्री शिवचरण सिंह** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खान अधिनियम में संशोधन करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक;

(ख) क्या यह सच है कि खनिज-पट्टे अपेक्षाकृत लंबी अवधि के लिए दिए जाते हैं और कुछ पट्टाधारकों का इस क्षेत्र में एकाधिकार है;

(ग) क्या पट्टे की अवधि को कम किया जाएगा; यदि हां, तो कब तक और इस पट्टा अवधि को कितना कम किया जाएगा;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ व्यक्ति पट्टा प्राप्त करने के बाद विकास संबंधी गतिविधियां शुरू नहीं करते; और

(ङ) क्या पट्टों को शिकमी पट्टा देने के संबंध में कोई प्रतिबंध है, और यदि हां, तो देश में कितने पट्टों को इस का उल्लंघन करने के कारण रद्द किया गया है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन करने पर सरकार विचार कर रही है ।

(ख) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 8(1) में यह निर्धारित किया गया है कि जिस अवधि के लिए खनन पट्टा मंजूर किया जाएगा वह बीस वर्ष से अधिक नहीं होगी, लेकिन इसके लिए कोई न्यूनतम अवधि निर्धारित नहीं की गई है । इस अधिनियम की धारा 6 में किसी व्यक्ति को अधिकतम क्षेत्र पट्टे पर देने की सीमा निर्धारित की गई है ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(घ) ऐसे संभावित मामले पर कार्यवाही करने के लिए खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में यह प्रावधान है कि यदि कोई पट्टा-धारक पट्टे की संपन्न होने से एक वर्ष के भीतर खनन कार्य आरम्भ नहीं करता है, तो वह पट्टा समाप्त हो जाएगा ।

(ङ) जी नहीं ।